कार्यालय जिला पंचायत, आगरा।

निविदा सूचना

जिला पंचायत आगरा के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 के निर्माण कार्य करायें जाने हेतु मुहर बन्द, निविदायें निर्माण कार्य समिति, कार्य समिति जिला पंचायत एवं मा0 अध्यक्ष जिला पंचायत की वित्तीय, प्रशासनिक एवं तकनीकि स्वीकृति अनुसार निविदाओं का विवरण (मेले/आकस्मिक की व्यवस्थाओं को छोड़कर) प्रत्येक माह के द्वितीय शुक्रवार को www.agra.nic.in की वेबसाईट पर निविदा फार्म सहित देखा जा सकेगा। वर्तमान में यह तिथि 14.06.2019 से होगी। निविदाओं को बिक्री प्रत्येक माह के तृतीय सोमवार को कार्यालय समय में होगी। वर्तमान में यह तिथि 21.06.2019 से होगी। निविदाओं को प्रत्येक माह के चतुर्थ बुद्धवार को अपरान्ह 2:00 बजे तक आमन्त्रित की जायेगी और उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे से उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष निर्धारित समिति द्वारा कार्यालय जिला पचायत में खोली जायेगी। वर्तमान में यह तिथि 24.06.2019 से होगी। उक्त तिथियों में अवकाश होने की दशा में अगला कार्यदिवस माना जायेगा। प्रत्येक मुहर बन्द निविदा के साथ 02 प्रतिशत धरोहर धनराशि एन0एस0सी0/राष्ट्रीयकृत बैंको का एफ0डी0आर0/नगद जो अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत आगरा के पद नाम से बंधक होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा और जो इच्छुक व्यक्ति बिना जगानत के निविदा डाले जाने की कार्यवाही में भाग लेगा तो, उस व्यक्ति द्वारा जिला पंचायत को धोखा देना माना जायेगा। निविदा स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पचायत मे निहित होगा। निविदा सम्बन्धित अन्य जानकारी कार्यालय कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है। निर्माण नियमावली–1984 के अनुसार निर्माण का परिवर्तन/परिवर्धन/निरस्तीकरण का अधिकार मा0 अध्यक्ष जी में निहित होगा तथा स्वीकृत लागत से अतिरिक्त कोई कार्य सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से ही मान्य होगा, रू0 10.00 लाख से अधिक के कार्यो को शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही ई–निविदा के माध्यम से प्रारम्भ किये जा सकेंगे। पंजीकृत ठेकेदार को निर्माण नियमावली/अनुबन्ध के अतिरिक्त कोई क्लेम/आपत्ति करने का अधिकार न होगा। पंजीकृत ठेकेदार तय समय सीमा में नियमानुसार प्रगति न करने हेतु आगामी निविदा लेने से वंचित रहेंगे। माननीय समस्त जन प्रतिनिधि और समस्त जिला स्तरीय, समस्त तहसील, समस्त खण्ड स्तरीय, समस्त ग्राम पंचायत स्तरीय अधिकारियों के लिए अवलोकनीय निर्माण कार्य का विवरण/प्रतिबन्ध निम्नवत् है:–

01– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति के छः माह तक प्रत्येक माह फोटोग्राफ प्रस्तुत करने और निर्माण कार्य का बोर्ड सुरक्षित लगा रहने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, ऐसा न करने पर ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जायेगा।

02– प्रत्येक निर्माण 50 प्रतिशत पूर्ण होने पर जॉच/टेस्ट कराये जायेंगे कार्य की सन्तोषजनक स्थिति की रिपोर्ट आने पर ही अभियन्ता द्वारा आगे के कार्य का आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्माण कार्य पर गुणवत्ता परीक्षण कराये जायेंगे, जिसमें होने वाले व्यय को सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वहन किया जायेगा।

03– एक ठेकेदार द्वारा एक साल्वेंसी सर्टिफिकेट एक ही विभाग में प्रयोग की जायेगी। कुछ साल्वेंसी सर्टिफिकेट को बैंक एवं आयकर विभाग से भी सत्यापन कराये जायेंगे और ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत आर्थिक स्थिति/साल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना पाये जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

04– किसी भी ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिये अनर्ह था, या सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जायेगी।

05– समय वृद्धि मॉगे जाने का वही ठेकेदार हकदार होगा, जिसे कतिपय कठिनाई है और निर्माण कार्य कम से कम 75 प्रतिशत पूर्ण कर दिया है, अन्यथा की दशा में अपूर्ण आवेदन पर अर्थ दण्ड के भागीदार होगें।

06– निविदा के समय निविदा क्रय करते समय अथवा डालते समय ठेकेदार की भौतिक उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। निविदा फार्म को एवं कार्यों की सूचना वेबसाइट **www.agra.nic.in** से सीधे डाउनलोड किया जा सकता है और कार्यालय दिवस में भी सूचना प्राप्त की जा सकती है। वेबसाइट पर निविदा फार्म जमा करते समय निविदा फार्म का मूल्य तथा धरोहर धनराशि नकद "जिला निधि जिला पंचायत" के खाता (**भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कलैक्ट्रेट, ब्रांच कोड 30464, MICR: 282002031 खाता संख्या 53052570668, IFSC Code-SBIN0030464**) में सीधे जमा किया जायेगा और उसका विस्तृत विवरण निविदा फार्म पर दिया जायेगा। निविदा खोलने की तिथि एवं समय के पूर्व प्राप्त निविदा फार्मों बयाने की धनराशि (धरोहर धनराशि की मूल प्रति) पर ही विचार किया जायेगा।

07– कार्य प्रारम्भ की तिथि से एक सप्ताह में श्रम विभाग से श्रमिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में आपका जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

08– निम्न कार्यों का स्थल सत्यापन कर भुगतान की कार्यवाही वर्तमान स्थिति के अनुसार कार्य को किया जायेगा। यदि मौके पर कार्य हो गया है, पाया जायेगा

09– माननीय सांसदों, माननीय विधायकों एवं माननीय सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत एवं माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर के कार्य ग्राम पंचायतों के मध्य लाभ के लिये ही मान्य, स्वीकृत किये गये हैं। साथ ही अधिनियम–1961 की धारा–38(ख) अन्तर्गत सम्बन्धित ग्राम पंचायत को सुपुर्द करने होंगे।

10– वर्णित कार्य यदि किसी कार्यदायी संस्था के लिए प्रकाशन/विवरण अपलोडिंग के पूर्व से स्वीकृत होगा, तो वह संस्था जिला पंचायत को सूचित करेगी।

(अनिल कुमार सिंह) अभियन्ता, जिला पंचायत, आगरा।	(प्रदीप कुमार) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, आगरा।	(प्रवल प्रताप सिंह) अध्यक्ष, जिला पंचायत, आगरा।

कार्यालय, जिला पंचायत, आगरा।

दिनांक : 03.06.2019

पत्रांक– 419 /जि0पं0आ0/2019–20

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।**

1. कार्यालय, मा0 जिला न्यायधीश, आगरा।
2. कार्यालय, जिलाधिकारी, आगरा।
3. मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
4. अपर जिलाधिकारी,(वित्त एवं राजस्व)/प्रशासन, आगरा।
5. समस्त सम्बन्धित माननीय प्रमुख क्षेत्र पंचायत, आगरा।
6. समस्त सम्बन्धित माननीय ग्राम प्रधान, आगरा।
7. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग/सिंचाई विभाग/मण्डी परिषद/गन्ना विभाग, आगरा।
8. वित्तीय परामर्शदता जिला पंचायत, आगरा/अभियन्ता, जिला पंचायत, आगरा को जिला पंचायत में नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
9. जिला पंचायत राज अधिकारी, आगरा/समस्त खण्ड विकास अधिकारी, आगरा।
10. समस्त अवर अभियन्ता, जिला पंचायत आगरा।
11. जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी आगरा को वेबसाइट **www.agra.nic.in** पर निविदा फार्म सहित अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित है।
12. विज्ञापन व्यवस्थापक, दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण व अमर उजाला को मा0 अध्यक्ष जी द्वारा स्वीकृत उपरोक्त विज्ञप्ति, एक अंक में कम से कम स्थान में शासकीय दर पर प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु समाचार पत्र की 03 प्रतियों में कार्यालय को उपलब्ध करावें।

(प्रदीप कुमार)
(प्रदीप कुमार)
अपर मुख्य अधिकारी
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत, आगरा
जिला पंचायत, आगरा।

Scanned by CamScanner

अभियन्ता
जिला पंचायत,आगरा।

जिला पंचायत, आगरा।
का
टेण्ड़र फार्म

नोटः–इस फार्म के अतिरिक्त अगर किसी दूसरे कागज पर लिखकर कोई टेण्ड़र पेश किया गया तो उस पर कोई ध्यान नही दिया जायेगा। निविदा फार्म जिला पंचायत,आगरा द्वारा निर्धारित मूल्य पर मिल सकता है।

1–कार्य का नाम–...

2–तादाद तखमीना–........................

3–नाम ठेकेदार का मय पता–...

ऊपर लिखा हुआ ठेकेदार अपना नीचे लिखा टेण्डर ऊपर लिखे हुए कार्य की वावत पेश करते है, और अपने लिए उन शर्तो के जिनका जिक्र इस कार्य के लिए नोटिस में लिखा है। पूर्ण करने की जिम्मेदारीं लेते है, और करार करते है, कि इस टेण्ड़र की स्वीकृति अगर दी जायेगी तो मैं/हम कार्य को मा0 अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियन्ता तथा सदस्य जिला पंचायत,आगरा को पसन्द के अनुसार नक्शा एवं नमूना एवं तखमीना के आधार पर......... दिन के अन्दर पूर्ण करूँगा/करेगें। वह यह म्याद कार्य शुरू करने की सूचना मिलने से मानी जायेगी। इस कार्य के लिए जारी हुए नोटिस में से मैं/हम किसी भी शर्त के विरूद्ध कार्य करूँगा तो मेरी/हमारी जमानत को मु0...............................है जब्त कर ली जायें तथा जुर्माना लिया जाये, जो अधिकतम जो निर्माण नियमावली 1984 के अनुसार प्रतिदिन हो सकता है।

हस्ताक्षर ठेकेदार

....मैं / हम...

....उपरोक्त कार्य के बाबत टेण्डर ....

फीसदी कम / ज्यादा तखमीना पर लिखी शर्त पर करने को तैयार हूँ।

मैं/हम उपरोक्त कार्य के निर्मित्त अपना टेण्ड़र प्रस्तुत करते है। टेण्ड़र की शरह पीछे लिखी हुई है।

हस्ताक्षर ठेकेदार

Scanned by CamScanner